स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा का पंद्रहवाँ बैच

(2021-22)

सरकारी विस्तार व्यवस्था में व्यावसायिकता का विकास

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

दूरभाषः 91-40-24594596/24016689, फैक्स +91-40-24015388

संस्थान के बारे में:

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ती हुई कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रुप में हुई है। भारतीय कृषि में वाणिज्य तथा विपणन अभिमुखता पर बढ़ती हुई दृष्टि के साथ - साथ कृषि तकनीक में बढ़ती हुई क्लिष्टताओं ने कृषि विस्तार व्यवस्था के पुनराभिमुखीकरण तथा आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढ़ांचे में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली विस्तार व्यवस्था प्रबंधन के तरीकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज की स्थापना की गयी है।

अपने अधिदेश देश के अनुसार मैनेज, प्रशिक्षण, प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श सेवा एवं सूचना संसाधन के क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन एम ए ई टी) के कृषि विस्तार का उप मिशन (एस एम ए ई) के तहत आने वाला ''विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यव्रत्र्मों का समर्थन'' की केंद्र प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन में मैनेज अपना योगदान प्रदान कर रहा है । यह कार्यक्रम 29 राज्यों व 3 संघ क्षेत्रों के 652 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा कार्यक्रम देश के निजी एवं सरकारी विस्तार कर्मियों के लिए मैनेज द्वारा विशेष रुप से कृषि विस्तार प्रबंधन पर चलाया जा रहा शैक्षिक कार्यक्रम है। कृषि विस्तार पर मैनेज के अन्य कार्यक्रमों में ऑनलाईन पी जी डी ए ईएम-मूक्स जो सरकारी निजी क्षेत्र के विभिन्न विषयों के स्नातकों के लिए है, कृषि इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (डी ए ई एस आई) और कृषि विस्तार कर्मियों को विशेषज्ञ के रुप में तैयार करने के लिए प्रमाणित क्षेत्र सलाहकार/प्रमाणित पशुधन सलाहकार कार्यक्रम, सम्मिलित है, मैनेज स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) [पीजीडीएम (एबीएम)] भी चला रहा है।

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

कृषि के माध्यम से त्वरित, सतत एवं समेकित विकास प्राप्त करने के लिए व्यापक अधिदेश के साथ एक सशक्त, जीवंत एवं उत्तरदायी विस्तार की पूर्व-अपेक्षा होती है। कृषि विस्तार सेवाओं को नई चुनौतियों को स्वीकार योग्य होना चाहिए और उसे विषयवस्तु, दृष्टिकोण, रुपरेखा और सुपुर्दगी एवं कार्यन्वयन के माइने में खुद में सुधार लाना चाहिए।

भारत में लगभग एक लाख बीस हजार विस्तार कर्मी उपलब्ध है। वे सभी किसानों को विस्तार समर्थन प्रदान करने का उत्तरदायित्व वहन कर रहें हैं। वे भारतीय कृषि की मुख्य मुद्दों जैसे छोटे किसानों की अधिक प्रतिशतता पैदावार कमियाँ, इनपुट के उपयोग में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास के निवारण में मुख्य भूमिका निभाएंगे। भारतीय कृषि की विभिन्नता एवं मात्रा के अनुरुप सरकारी विस्तार व्यवस्था को तैयार करना और उसका सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है।

इसके अलावा अधिक संख्या में निजी विस्तार कर्मी जैसे कृषि व्यापार कंपनियां, किसान संगठन, कृषि उद्यमी, इनपुट डीलर, गैर सरकारी संगठन और सहकारी संस्थाएं एक दूसरे के पूरक है और गांव स्तर पर सरकारी विस्तार व्यवस्था की सहभागिता में काम कर रहें हैं। विस्तार सेवा प्रदान करने में उनकी प्रभावशालिता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक और निजी विस्तार कर्मियों की सर्वोपरि महत्व के पहचानते हुए, मैनेज ने 2007 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्षीय स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) को केंद्र स्तर पर प्रायोजित "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम समर्थन" के तहत प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को आरंभ करके चौदह साल पूरे हुए है, 14वां बैच चालू है। पिछले सालों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से 20,870 आवेदकों से अधिक पी जी डी ए ई एम कार्यक्रम में पंजीकृत हुए है। कृषि विस्तार कर्मियों के सुदृढ़ीकरण में यह एक अनोखा कार्यक्रम होने के नाते वर्तमान समय में इसके प्रति रुझान बढ़ती जा रही है।

वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2015-16 से राज्यों को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए व एफडब्ल्यू), भारत सरकार से विस्तार सुधार योजना के तहत 60%, 90%, और 100% क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी एवं तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में दिया जा रहा है। बाकि राशी का (मैचिंग शेयर) 40%, 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों और उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों के राज्य सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है।

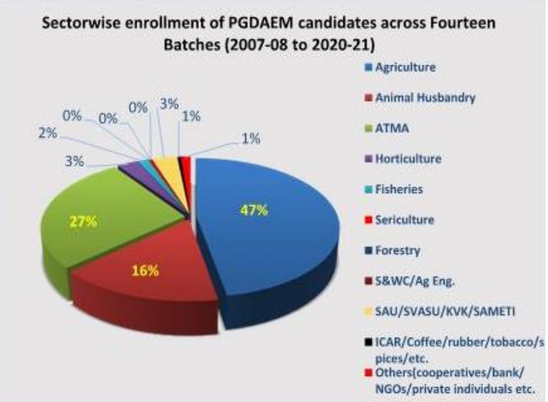

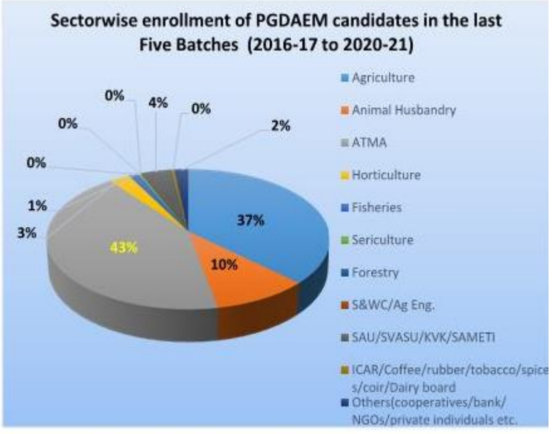

पी जी डी ए ई एम कार्यक्रम के उद्देश्य:

विस्तार कर्मियों की तकनीकी-प्रबंधकीय दक्षताओं में वृद्धि करना

विस्तार कर्मियों को कृषि क्षेत्र के नवीन कार्यों से अवगत कराना

विस्तार कर्मियों को भागीदारी निर्णायन हेतु नवीन उपकरणों तकनीकों संबंधी ज्ञान प्रदान करना

कृषि मूल्य-श्रृंखला में दक्ष बनाने के लिए विभिन्न विस्तार मॉडलों में गहराई विकसित करना

पाठ्यक्रम की रुपरेखा और विषय-वस्तु

पाठ्यक्रम के 30 क्रेडिट होंगे और दो अर्धवार्षिकों में प्रदान किया जाएगा । प्रत्येक सेमिस्टर के 15 क्रेडिट होंगे। एक क्रेडिट 30 अध्ययन घण्टों के समान है । प्रथम अर्धवार्षिकी में पांच पाठ्यक्रम होंगे जिनमें से प्रत्येक का एक कोर्स तथा एक एसाईनमेंट होगा । द्वितीय अर्धवार्षिकी में चार पाठ्यक्रम होंगे जिसमें प्रत्येक का एक कोर्स और एक एसाईनमेंट सहित एक परियोजना कार्य भी होगा ।

पाठ्यक्रम, मुद्रित पठन सामग्री, ई-लर्निंग रिसोर्सेस (पूर्व-रिकार्ड किया गया डीवीडी मॉडयूल) और लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षाओं से युक्त है । लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षाएं प्रत्येक अर्धवार्षिकी में पाँच दिनों के लिए समेति (SAMETI) या सम्बद्ध राज्य के किसी चुनी गई संस्था पर परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले आयोजित की जाएगी ।

सत्र I व II हेतु पाठ्यक्रमों की रुपरेखा

सत्र – I

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 101:	कृषि विस्तार का परिचय	(3 क्रेडिट)
एईएम 102:	विकास हेतु सुगमता	(2 क्रेडिट)
एईएम 103:	विस्तार हेतु संचार	(4 क्रेडिट)
एईएम 104:	कृषि विकास हेतु महिलाओं को मुख्यधारा में लाना	(3 क्रेडिट)
एईएम 105:	नेतृत्व एवं प्रबंध कौशल	(3 क्रेडिट)

सत्र - II

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 201:	ग्रामीण समाजशास्त्र	(2 क्रेडिट)
एईएम 202:	कृषि व्यापार प्रबंध	(4 क्रेडिट)
एईएम 203:	कृषि प्रबंधन हेतु नियोजन	(3 क्रेडिट)
एईएम 204:	सतत कृषि विकास हेतु विस्तार	(4 क्रेडिट)
एईएम 205:	परियोजना कार्य	(2 क्रेडिट)

सामान्य सूचनाः

योग्यता मापदन्ड:

विस्तार कर्मी जिन्होने कृषि व तत्संबंधी क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु पालन, मत्स्यपालन आदि, में स्नातक हैं और केन्द्र/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सरकारों या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत है इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र है। सरकारी विस्तार कर्मियों को वरीयता दी जाएगी। आत्मा के ब्लॉक और सहायक तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम & एटीएम), केवीके के एसएमएस और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

कृषि, तत्संबंधी विषयों के स्नातक और कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी किसान संगठन में कार्यरत स्नातक, कृषि-उद्यमी और इनपुट डीलर भी इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

चरण 1. सरकारी विभागों के आवेदकों को, पीजीडीएईएम में प्रवेश पाने हेतु अपने आवेदनों को अपने प्राधिकारियों के पास उस जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अंग्रेषित करने के निवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा ।

चरण 2. आवेदनों की जाँच के पश्चात परियोजना निदेशक उन आवेदनों को सम्बद्ध राज्य के स्टेट नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजने के अनुरोध के साथ सम्बद्ध राज्य के निदेशक - समेति (SAMETI) को भेजेंगे।

चरण 3. निदेशक समेती सभी आवेदनों को संकलित कर अपने राज्य के राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे।

चरण 4. एसएनओ द्वारा अनुमोदित सभी आवेदनों को 15वीं (2021-22) बैच में प्रवेश के लिए मैनेज को भेजे जा सकते है।

इस कार्यक्रम के लिए, 60%, 90%, और 100% का पाठ्यक्रम शुल्क के लिए सामान्य राज्यों, उत्तर-पूर्वी व तीन हिमालय राज्य तथा केन्द्रशासित प्रांत क्रमशः विस्तार सुधार योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। राज्य का मिलान क्षेत्र 40%, और 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय राज्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समितियों (SAMETI s) को कॉन्टैक्टट कक्षाएं और परीक्षाओं के आयोजन के लिए दिया जाना है।

निजी प्रत्याशियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओं, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों और कृषि-उद्यमियों, इनपुट डीलरों, प्रगतिशील किसान, निजी क्षेत्रों के कर्मचारी आदि , की श्रेणी में रहने वालों को पाठ्यक्रम शुल्क रु15,000/- एक किश्त में भुगतान करना होगा । राशी का भुगतान, मैनेज हैदराबाद पर देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में अपने आवेदन के साथ सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा ।

मूल्यांकन:

आवेदक का लिखित परीक्षा व नियत कार्य (एसाईनमेंट) में उनके निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा 70 अंकों का और एसाईनमेंट 30 अंकों का होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा नियत कार्य दोनो को मिलाकर न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना होगा।

80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों प्रथम श्रेणी के साथ डिस्टिंक्शन और 70% से 79.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी एवं 60% से 69.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी । 2021-22 के आवेदक जो परीक्षा में अंनुत्तीर्ण रहें उन्हें द्वितीय सेमिस्टर के अंत में सप्लिमेंटरी परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 2021-22 के आवेदक जो उसी साल में प्रीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करते उन्हे केवल 2022-23 बैच के प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर की प्ररीक्षाओं के साथ पुनः बैठना होगा। 2022-23 के उपरांत कोई और अवधि नहीं दी जाएगी।

प्रथम और द्वितीय सेमिस्टर पी जी डी ए ईएम की सप्लिमेंटरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए

(a) जो आवेदक सप्लिमेंटरी परीक्षा देना चाहता है उसे शुल्क रु़ 100/- प्रति विषय देना होगा।

(b) जो आवेदक किसी एसाईनमेंट को पुनः प्रस्तुत करना चाहते है या देर से प्रस्तुत करते है उसे शुल्क रु़ 50/- प्रति एसाईनमेंट देना होगा।

(c) परियोजना कार्य पुनः प्रस्तुत या देर से प्रस्तुत करने वाले आवेदक को शुल्क रु़. 75/- भरना होगा।

नियत कार्य (एसाईनमेंट):

पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियत कार्य को प्रस्तुत करना (एसाईनमेंट) अनिवार्य है । नियत कार्य को प्रस्तुत नहीं करने पर उसे असंपूर्ण माना जाएगा । पाठ्यक्रम के अनुसार नियत कार्य विषयों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है । प्रत्याशियों को सत्र समाप्ति परीक्षा में उपस्थित रहने के पूर्व नियत कार्य को प्रस्तुत करना होगा ।

परियोजना कार्य:

पाठ्यक्रम 205: परियोजना कार्य (2 क्रेडिट) पूर्ण करना पीजीडीएईएम सपन्न करने के लिए अनिवार्य है। आवेदकों को एईएम कार्यक्रम 205 की सीमा में से ए,बी,सी वर्ग में किसी एक विषय को चुनना होगा (विषय एवं निर्देश सूत्र मैनेज वेबसाईट में देखे जा सकते है)। विषय अपने कार्य क्षेत्र में तथा किसानों के लिए उपयोगिता और अपनी रुचि अनुसार लिया जा सकता है।

ए,बी,सी, वर्गो में से चुने गए विषय को परियोजना कार्य के रुप में क्षेत्र क्रियाकलाप (field activity) के लिए लेना होगा जिसे आवेदक को अपने अधिकार क्षेत्र मे क्रियान्वित कर किसानों/स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य को उसकी किसानों की उपयोगिता सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र की परीक्षाओं से पहले परियोजना रिपोर्ट को जमा करवाना होगा। परियोजना कार्य समाप्ति के बाद परियोजना रिपोर्ट के सार की सॉफ्ट कॉपी मैनेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परियोजना कार्य रिपोर्ट हेतु 100 अंक निर्धारित है। परियोजना कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिणाम:

पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम मैनेज वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा । मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को अंक तालिका के साथ सम्बंधित समेति को भेजा जाएगा। यदि प्रत्याशी प्रमाण-पत्र खो देता है, तो उसे मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से रु 500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है ।

वचन (अंडरटेकिंग):

पीजीडीएईएम के लिए पंजीकृत सरकारी विभाग के प्रत्याशियों को यह वचन देना होगा कि वें दो वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अंर्थात, रु 15,000/- उनके वेतन से वसूल किया जाएगा । इस वचन को आवेदन पत्र के साथ मैनेज को प्रायोजित प्राधिकारी/विभाग द्वारा भेजना होगा । पंजीकरण की वैधता सभी प्रत्याशियों हेतु केवल दो वर्षों के लिए होगी।

नोट:

पंजीकरण के एक माह के पश्चात सरकारी कर्मियों के द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापसी के निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी ऐसे निवेदनों को केवल आत्मा/समेती के माध्यम से भेजना होगा । सरकारी कर्मियों के आवेदनों को केवल उचित चैनल के माध्यम से भेजना होगा और मैनेज को सीधे भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । प्रत्याशियों का अंतिम प्रवेश, के बारे में विशेषाधिकार महानिदेशक, मैनेज को ही होंगे।

शिक्षण माध्यम: अंग्रजी / हिन्दी

आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15-03-2022 है।

मैनेज वेबसाइट: www.manage.gov.in पर निम्न हेतु प्रावधान है ।

1. प्रत्याशियों के प्रवेश पत्र और प्रवेश सूची (देखे और डाऊनलोड करें)
2. अंग्रेजी व हिन्दी में अध्ययन सामग्री विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय पर पूर्व रिकार्ड किये गये (वीडियो) लेक्चर उपलब्ध हैं। (देख और डाऊनलोड करें)
3. नियत कार्य के विषय और-परियोजना रिपोर्ट के विषय (देखे और डाऊनलोड करें)
4. संपर्क कक्षाए, एसाइनमेंट, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षाओं संबंधी निर्देश। (देखे और डाऊनलोड करें)

5. प्रश्न बैंक (देखे और डाऊनलोड करें)
6. परीक्षा सारणी (दर्शाया जाएगा)
7. संत्रांत एवं पूरक परीक्षा के हॉलटिकट (डाऊनलोड करें)
8. परिणाम, यू सी और एस ओ ई के प्रारुप (देखे और डाऊनलोड करें)
9. अंक तालिका और परिणाम (देखे और डाऊनलोड करें)
10. फीडबैक (ऑनलाईन प्रस्तुत करें)

पता:

डॉ. वीनिता कुमारी, उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीएईएम)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

राजेन्द्रनगर हैदराबाद – 500 030

वेबसाईट : www.manage.gov.in

ई-मेल: directoraem@manage.govin, plmanohari@manage.govin

फोन नं.:+91-40-24594596/24016689, फैक्स नं.:+91-40-24015388

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 15-03-2022

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

आवेदन पत्र - पंद्रहवां बैच (2021-22)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु क्र.सं. : केन्द्र का नाम : राज्य :

एक हस्ताक्षरित फोटो चिपकाए, और अलग से एक संलग्न करें

कृप्या अपने स्वयं के हस्ताक्षर में बड़े अंक्षरों में आवेदन भरें

1. नाम बड़े अक्षरों में डॉ /श्री /श्रीमती

2. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐

3. 1-10-2021 को आयु ☐

4. लिंग पुरुष ☐ स्त्री ☐

5. क्या आप अ.ज़ा. / अ.ज.जा./ अ,पि.व़. /शारीरिक विकलांग हैं ?

अ.ज़ा ☐ अ.ज़.ज़ा. ☐ अ,पि.व़. ☐ शा,वि. ☐ अन्य ☐

6. सरकारी कर्मी ☐ गैर-सरकारी ☐ निजी संगठन ☐ अन्य ☐

7. विभाग/संस्थान/एनजीओं/कृषि व्यापार कंपनी/सहकारी संस्था/किसान संगठन/अन्य का नाम, डाक पता के साथ।

आवेदक का वर्तमान पद														
कार्यालय/विभाग/संस्थान का नाम														
वार्ड/सर्कल और स्थान														
तालुका/पोस्ट आफिस														
जिला														
राज्य														
पिन कोड (आनिवार्य)														

8. आवेदक का स्थाई पता

वार्ड/सर्कल और स्थान														
तालुका/पोस्ट आफिस														
जिला														
राज्य														
पिन कोड (आनिवार्य)														

कार्यालय दूरभाष सं.: एसटीडी कोड के साथ		निजि	
मोबाईल नं. :		मोबाईल नं. *:	
ई-मेल:		ई-मेल:	

*अनिवार्य

9. शैक्षणिक योग्यताएं (साक्ष्यांकित प्रतियां संलग्न करें)

क्र.सं.	परीक्षा, स्नातक से प्रारंभ करें	उत्तीर्णता का वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	श्रेणी/डिवीजन
1.	डिग्री (स्नातक)* (……………………..)				
2.	स्नातकोत्तर** (……………………..)				
3.	पीएचडी (……………………..)				

टिप्पणीः *बीएससी (कृषि), ब़ी व़ी एस स़ी, मात्सकी .... अन्य

**एमएससी (कृषि), एम.व़ी.एस.स़ी, एम़. मत्सकी ....

10. अनुभव (वर्षो में) :

11. किस भाषा में आप अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं : अंग्रेजी ☐ हिन्दी ☐

12. अ) वचन

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गयी सभी सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं पाठ्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु मैनेज द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम व आचरण संहिता के प्रति बाध्य रहने के लिए सहमत हूँ ।

आ) केवल सरकारी कर्मियों से वचन

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं यह दो वर्षो के भीतर पीजीडीएईएम को पूरा करूंगा। अन्यथा मैं मेरे नियंत्रक प्राधिकारियों को एतद्वारा अधिकृत करता हूँ कि मेरे वेतन से रु 15,000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करें ।

प्रत्याशी का हस्ताक्षर,
दिनांक के साथ

13. प्रेषण प्राधिकारी

क) उच्च नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) के हस्ताक्षर
डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ग) निदेशक समेती/एसएनओ के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुहर एवं डाक का पता (पिन कोड नं.)
ई-मेल तथा कार्यालय फोन नं.

आवेदन भेजने का पताः

उप निदेशक एवं प्रधान समन्वयक - पीजीडीएईएम
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030.
ई-मेलः directoraem@manage.govin